"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जून 2005—आषाढ़ 7, शक 1927

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विषय में पूर्व के नियमों को अतिष्ठित करते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2005 है.

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है "छत्तीसगढ़ शासन";

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम-11 के अधीन भर्ती के लिये ली गई प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) ''निरीक्षक'' से अभिप्रेत है, निरीक्षक-जिला कार्यपालिक बल (डी.ई.एफ.) निरीक्षक-विशेष शाखा (एस.बी.), रक्षित निरीक्षक (आर.आई.), निरीक्षक-रेडियो (आर) मोटर ट्रांसपोर्ट-निरीक्षक (एम.टी.आई.), निरीक्षक-प्रश्नास्पद दस्तावेज (आई.क्यू.डी.), निरीक्षक-अंगुली चिन्ह ब्यूरो (आई.एफ.पी.बी.), निरीक्षक-अनुसचिवीय (एम);

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा.

3. **विस्तार तथा लागू होना** - छत्तीसगढ़ सिविल सेवा; सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे, जैसा कि अनुसूची-एक में उल्लेखित है.

4. **सेवा का गठन** -

(1) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ पर अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति;

(ग) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति.

(2) सेवा में निम्नलिखित श्रेणी होंगी-

(क) उप पुलिस अधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान - रु. 8000-275-13500/-

(ख) उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ वेतनमान - रु. 10000-325-15200/-

(ग) उप पुलिस अधीक्षक प्रवर श्रेणी वेतनमान - रु. 12000-375-16500/-

(घ) उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान - रु. 14300-400-18300/-

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** -सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा;

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका** -

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती;

(ख) अनुसूची-चार के कालम क्र. 2 में विनिर्दिष्ट पद से कालम क्र. 3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा.

(2) उप नियम- (1) के खण्ड- (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में की किसी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाये जाने वाला तरीका और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से, अवधारित की जायेगी.

(4) उप नियम- (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित होने पर, गृह पुलिस विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों से भिन्न, जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, ऐसा अन्य तरीका अपना सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा, इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किया जाए.

(5) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा इन नियमों के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति** - इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें** - अभ्यर्थी को परीक्षा में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

(1) आयु -

(क) उसने परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कालम-3 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनुसूची के कालम-4 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयुसीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों की उच्चतर आयुसीमा, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं, या कर्मचारी रह चुके हैं नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन शिथिलनीय होगी :-

(एक) अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हों, की आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(दो) अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, की आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया हुआ शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण - शब्द ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम 6 मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की दिनांक से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(घ) **महिलाओं के लिये पदों का आरक्षण** : सीधी भर्ती (प्रवेश स्तर) के प्रक्रम पर महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे और आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज) होगा. किन्तु राज्य शासन विशेष अथवा विपरीत परिस्थितियों में यह आरक्षण 10 प्रतिशत तक अधिसूचना द्वारा कम कर सकेगा.

स्पष्टीकरण - ''समस्तर और प्रभागवार (हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज)'' से अभिप्रेत है कि प्रत्येक प्रवर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य प्रवर्ग में आरक्षण.

(ङ) कोई अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण - शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का हो और जो भारत शासन के अधीन कम से कम छ: माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन देने के दिनांक से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी थी या जिसे अतिशेष घोषित किया गया था :-

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे ''मास्टरिंग आउट कन्सेशन'' के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार भर्ती किया गया हो :-

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) अभ्यावेशन (एनरोलमेन्ट) की शर्तें पूर्ण हो जाने पर; सेवान्मुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक जिनमें अल्पकालीन सेवा के, नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं,) उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(चार) अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छ: माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(च) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु उपबन्ध) नियम 1997 के अनुसार महिला आवेदकों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी. यह छूट आयुसीमा सम्बन्धी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी.

(छ) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिये भी उच्चतर आयुसीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) ''विक्रम पुरस्कार'' धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ट) इन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य निगम मण्डल के कर्मचारी हों, उच्चतर आयुसीमा अधिकतम 33 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ठ) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयुसीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

टिप्पणी :-

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त खण्ड ''ग'' के उपखण्ड (एक) तथा (दो) और उपखण्ड (झ) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के या तो पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छंटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिये उपसंजात होने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त आयुसीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेश भी लागू होंगे.

(2) **शारीरिक अर्हता -**

अभ्यर्थी की निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होनी चाहिये एवं इस संबंध में उसको शपथ-पत्र देना होगा :-

(क) ऊंचाई - 168 से. मी. या उससे अधिक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिये)

155 से. मी. या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)

(ख) सीना - विना फुलाये 84 से.मी., फुलाने पर 89 से. मी., अभ्यर्थी के वगैर फुलाये हुए और फुलाये हुए सीने के बीच कम से कम 5 से. मी. का अंतर होना चाहिये. इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी. महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है.

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिये.

(घ) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (मेडिकली-फिट) होना चाहिये और दृष्टि जांच (विजन-टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होना चाहिये. उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होना चाहिये. उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिये.

(3) **शैक्षणिक अर्हता** -

अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें होना चाहिये परन्तु :-

(क) अपवादित मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो.

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार, ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी परीक्षा/चयन के लिये उपस्थित होने हेतु विचार कर सकेगा, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो और वे अभ्यर्थी भी नियुक्ति के पात्र होंगे जिन्होने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ में स्थित यथा स्थिति किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो या स्नातक उपाधि प्राप्त की हो.

(4) **फीस** - अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता** - अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये समर्थन प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी साधनों से किया गया कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये उसे अनर्ह बनायेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा**- परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चिय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** -

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल से ली जावेगी जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करें.

(2) आयोग, शासन द्वारा जारी किये गये ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा संचालित करेगा, जैसे कि शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से जारी किये जावें.

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित है.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम-12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हों.

(5) उपलब्ध रिक्तियों में से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम-1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये भी पद आरक्षित किये जावेंगे, जैसा कि गृह (पुलिस) विभाग द्वारा अनुसूची-एक में वर्णित पदों के सबंध में लागू किया जावे.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची -

(1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किये गये स्तर के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, शासन को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जावेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची, उसके जारी किये जाने के तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधि मान्य रहेगी.

13. परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण -

(1) सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

(2) परिवीक्षा की कालावधि में विहित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं और स्थलों में दिया जावेगा. उन अभ्यर्थियों के लिये, जो विहित स्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी. विहित परीक्षा और प्रशिक्षण, जैसा कि समय-समय पर संचालित किया जावे, में विहित स्तरों से उत्तीर्ण होने में असफल रहने पर परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी तथा सेवामुक्त भी किया जा सकेगा.

(3) यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है, दिये गये दिनांक तथा स्थान पर प्रशिक्षण पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी. यदि अभ्यर्थी नियुक्ति के आदेश में विहित कालावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया जावेगा.

14. पदोन्नति/क्रमोन्नति/पदस्थापना द्वारा नियुक्ति -

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति/क्रमोन्नति/पदस्थापना हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम पांच में वर्णित सदस्य होंगे. तथापि इस समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से यदि एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो इन प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अन्य अधिकारी को समिति में सम्मिलित किया जायेगा, और समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जावेगी.

(2) समिति की बैठक सामान्यतया प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम एक बार होगी.

15. निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें -

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम-2003 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पदोन्नति करने की प्रक्रिया केवल इन नियमों के अनुसार होगी. पदोन्नति प्रक्रिया नियम क्रमांक 16 से 19 में अभिकथित हैं.

(2) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को इससे संलग्न अनुसूची-चार के कालम-2 में उल्लेखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया है, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जो अनुसूची-चार के कालम-4 में अंकित है तथा विचारा क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण - पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु अर्हकारी सेवा की संगणना की रीति :- सम्बन्धित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा, की अवधि की गणना, उस कलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक पद/फीडर संवर्ग में आया है, पदोन्नति की तारीख से नहीं.

(3) (क) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता या वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति

को छोड़कर की जानी हो वहां सभी वर्गों के लिये कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा. इस प्रयोजन हेतु उतनी ही रिक्त पदों के संख्या की गणना की जावेगी, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(ख) उप नियम (3) (क) में उल्लिखित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हों, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा.

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी.

16. **उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना -**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम-15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम-2003 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त ठहराया गया हो. यह सूची विद्यमान रिक्तियों तथा चयन सूची तैयार करने की तारीख से आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम ऐसी चयन सूची तैयार किये जाने के समय अनुसूची-चार के कालम-(2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जावेंगे.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जावेगा.

(4) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

(5) आगे की गणना का फार्मूला होगा कि प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के ठीक दुगुने में चार जोड़ा जाय. यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक ऊपर दर्शाये गये अनुसार ''विचारण क्षेत्र'' में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों, तो ''विचारण क्षेत्र'' के रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ाया जा सकेगा और इस विस्तारित ''विचारण क्षेत्र'' में आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के नामों पर आरक्षित पदों को भरने के लिये विचार किया जावेगा.

(6) पदोन्नति के लिये केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर विचार किया जावेगा, जिन्होंने पदोन्नति के लिये (भर्ती नियमों के अनुसार) फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विचारण क्षेत्र के अंतर्गत हों.

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के, जो विचारण क्षेत्र में हों, नामों पर विचार किया जावेगा.

(7) जो आरक्षित पद भर्ती नियमों के अनुसार विचार किये जाने की पात्रता रखने वाले समस्त लोक सेवकों के नामों पर विचार कर लेने के बावजूद, उस प्रवर्ग के उपयुक्त लोक सेवकों के, जिनके लिये पद आरक्षित है, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जावे तो ऐसा पद तब तक अग्रनीत किया जावेगा, अर्थात् रिक्त रखा जावेगा, जब तक कि उस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त लोक सेवक उपलब्ध न हो जावे. किसी भी परिस्थिति में आरक्षित प्रवर्ग की किसी रिक्ति को किसी अन्य प्रवर्ग के लोक सेवक की पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जावेगा.

(8) विभागीय पदोन्नति समिति लोक सेवकों की पदोन्नति के लिये उनके सेवाभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववत् 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी. तथापि उन मामलों में जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, विभागीय पदोन्नति समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वार्षिक प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी.

17. **आयोग से परामर्श** - जहां विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो तो यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड-(3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है. ऐसे मामलों में समिति की रिपोर्ट पर आयोग की पृथक सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

18. चयन सूची-

(1) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सफल एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की सूची के साथ अन्य दस्तावेज नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपेगी. नियुक्ति प्राधिकारी उस सूची को अनुमोदित अथवा कोई परिवर्तन यदि आवश्यक हो, कर सकेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों को समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों यदि कोई हो, के साथ अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कालम-2 में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कालम-3 में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची अनुमोदन के दिनांक से 12 माह तक वैध रहेगी. वैधता लोक सेवा आयोग की सहमति से 6 माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु इस वृद्धि सहित कुल अवधि किसी भी प्रकरण में 18 माह से अधिक नहीं होगी. परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्य के पालन में गम्भीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करवाने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. चयन सूची से सेवा में उप पुलिस अधीक्षकों के पद पर नियुक्ति -

(1) चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को पदोन्नति पर नियुक्ति से पूर्व पदोन्नति पूर्व कोर्स करना होगा तथा उसे ऐसे स्तरों से उत्तीर्ण करना होगा, जैसा कि इस संबंध में समय-समय पर, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावेगा.

(2) सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा.

20. सेवा के कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें-

(1) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल वही अधिकारी सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचार के पात्र होंगे, जो :-

(क) उस वर्ष की, जिस वर्ष के लिये चयन किया जाना है जनवरी माह की प्रथम दिनांक को सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; तथा

(ख) सीधी भर्ती के अधिकारी जिन्होंने यथास्थिति सभी विषयों में विहित विभागीय परीक्षायें उच्च स्तर से उत्तीर्ण कर ली हो या जिन्हें उत्तीर्ण करने से राज्य शासन द्वारा, छूट दी गई हो.

(2) कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति हेतु चयन वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसी समिति द्वारा किया जावेगा जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. पदों का वेतनमान अनुसूची-छ: में वर्णित किये गये अनुसार होगी.

21. सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु पात्रता की शर्तें-

(1) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत केवल वही अधिकारी सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिये विचार के पात्र होंगे, जो उस वर्ष की, जिसमें चयन किया जाना है, जनवरी के प्रथम दिवस को वरिष्ठ वेतनमान में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों.

(2) वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन ऐसी समिति द्वारा किया जावेगा जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) चयन सभी प्रकार से उपयुक्तता के अधीन रहते हुए "ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता" (Seniority subject to fitness) के आधार पर किया जावेगा.

इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या कुल स्वीकृत पदों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. पदों का वेतनमान अनुसूची-छ: में वर्णित किये गये अनुसार होगी.

22. **सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्तें-**

(1) राज्य पुलिस सेवा के प्रवर श्रेणी में कार्यरत केवल वे अधिकारी सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र होंगे, जिन्होंने सेवा के सदस्य के रूप में उस वर्ष की पहली जनवरी को, जिसमें चयन किया जाना है, सेवा की प्रवर श्रेणी में कुल 6 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो.

(2) प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु अधिकारियों का चयन ऐसी समिति द्वारा किया जावेगा, जिसका गठन अनुसूची-चार में वर्णित है.

(3) चयन, सभी प्रकार से उपयुक्तता के अधीन रहते हुए "ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता" (Seniority subject to fitness) के आधार पर किया जावेगा.

इस ग्रेड में के अधिकारियों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. पदों का वेतनमान अनुसूची-छ: में वर्णित किये गये अनुसार होगी.

23. **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना के लिये पात्रता की शर्तें-**

(1) सेवा के केवल वे सदस्य, जो राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान या प्रवर श्रेणी वेतनमान या वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और अनुसूची-पांच के कालम-चार में वर्णित पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप सेनानी या समतुल्य रैंक के पदों पर पदस्थापना हेतु विचार में लिये जाने के पात्र होंगे.

(2) पदस्थापना के लिये चयन, अनुसूची-पांच के कालम-पांच में यथा-विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जावेगा.

24. **भारतीय पुलिस सेवा से पदस्थापना** - इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-एक में सम्मिलित पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना वर्जित नहीं होगी.

25. **निर्वचन** - इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का विनिश्चिय अंतिम होगा.

26. **शिथिल करने की शक्ति**- यदि जहां राज्य शासन का इस बात से समाधान हो जाता है, इन नियमों में के किसी नियम के प्रवर्तन में किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है तो वह आदेश द्वारा तथा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से और ऐसी सीमा तक तथा ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जैसी कि वह आवश्यक समझे किसी विशिष्ट नियम से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या इसे शिथिल कर सकेगा.

27. **निरसन तथा व्यावृति** - मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (बी) 26-2000-बी-चार-दो दिनांक 22-05-2000 जो छत्तीसगढ़ राज्य को इस सम्बन्ध में लागू है तथा आदेश, संकल्प यदि कोई, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित तथा विखण्डित, यथास्थिति किए जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम- 3, 4, 5, 11, 20, 21 एवं 22 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में विद्यमान पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	पदोन्नति कोटा के अधिकारियों की पदस्थापना हेतु पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य पु. प्र. शाला	02	रापुसे/प्रथम श्रेणी	रापुसे का वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 14300-400-18300 या प्रवर श्रेणी वेतनमान 12000-375-16500 या वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 10000-325-15200/-	राज्य शासन	1. रक्षित निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नत उप पुलिस अधीक्षकों के लिए एक पद. 2. शेष पद निरीक्षक या सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के लिए.
2.	प्राचार्य एपीटीसी बारसूर	01	तदैव	तदैव	तदैव	कंपनी कमाण्डर/रक्षित निरीक्षक संवर्ग/निरीक्षक संवर्ग/सीधी भर्ती
3.	प्राचार्य पीटीएस बोरगांव	01	तदैव	तदैव	तदैव	कंपनी कमाण्डर/रक्षित निरीक्षक संवर्ग/निरीक्षक संवर्ग/सीधी भर्ती
4.	सेनानी जंगल वारफेयर स्कूल, कांकेर.	01	तदैव	तदैव	तदैव	कंपनी कमाण्डर/रक्षित निरीक्षक संवर्ग/निरीक्षक संवर्ग/सीधी भर्ती
5.	राज्य परीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज).	01	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)
6.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री सुरक्षा.	01	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-विशेष शाखा अथवा निरीक्षक
7.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	27	तदैव	रापुसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000-375-16500 अथवा वरिष्ठ वेतनमान रु. 10000-325-15200/-	तदैव	निरीक्षक
8.	क्षेत्रीय अधीक्षक/एसआईबी	07	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-विशेष शाखा अथवा निरीक्षक
9.	उप सेनानी	15	तदैव	तदैव	तदैव	कंपनी कमाण्डर
10.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेडियो.	02	तदैव	रापुसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 12000-375-16500 अथवा वरिष्ठ वेतनमान 10000-325-15200/-	तदैव	निरीक्षक-रेडियो
11.	उप पुलिस अधीक्षक	140	रापुसे प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी	रापुसे का वरिष्ठ वेतनमान रु. 10000-325-15200 अथवा कनिष्ठ वेतनमान रु. 8000-275-13500	तदैव	निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, पीटीएस/एपीटीएस/जंगल वारफेयर स्कूल/सुरक्षा-लाईन)/माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा आदि.	19	तदैव	तदैव	राज्य शासन	रक्षित निरीक्षक
13.	सहायक सेनानी	45	तदैव	तदैव	तदैव	कंपनी कमाण्डर
14.	उप पुलिस अधीक्षक-रेडियो	05	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-रेडियो
15.	उप पुलिस अधीक्षक-एमटी	01	तदैव	तदैव	तदैव	रक्षित निरीक्षक अथवा कंपनी कमांडर अथवा निरीक्षक-एमटी.
16.	उप पुलिस अधीक्षक प्रश्नास्पद दस्तावेज.	02	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-प्रश्नास्पद दस्तावेज
17.	उप पुलिस अधीक्षक अंगुली चिन्ह ब्यूरो.	01	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-अंगुली चिन्ह
18.	उप पुलिस अधीक्षक अनुसचिवीय	02	तदैव	तदैव	तदैव	निरीक्षक-अनुसचिवीय

योग 215+58=273

1. सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षक के इस अनुसूची में शामिल किसी भी पद पर पदस्थ किये जा सकते हैं.

2. कालम 2 में अनुक्रमांक 01 से अनुक्रमांक 18 तक दर्शाये गये पदों पर अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान में प्रारंभिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत होते हैं, परन्तु ज्येष्ठ वेतनमानों में बाद में नियुक्त/ क्रमोन्नत होते हैं, जैसा कि नियम-20, 21 एवं 22 में उल्लेखित है.

3. उप पुलिस अधीक्षकों के कुल संवर्ग के 25% पद वरिष्ठ वेतनमान में, 15% पद प्रवर श्रेणी में तथा 5% पद वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में है.

4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पद श्रेणी के 58 पद हैं, जिन्हें वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के पदों की गणना में शामिली किया गया है. न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप पुलिस अधीक्षकों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर नियम-23 अनुसूची पांच के अनुसार पदस्थ किया जाता है, ये अधिकारी अपनी सेवाकाल की अवधि तथा नियम 20, 21 और 22 के अनुसार चयनित होने पर उप पुलिस अधीक्षक के पद के वरिष्ठ वेतनमान, अथवा प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के होंगे. इन अधिकारियों की कुल संख्या 181 होगी (58+68+41+14) (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद 58, उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ वेतनमान के 68, उप पुलिस अधीक्षक प्रवर श्रेणी के 41 तथा उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के 14).

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

क्र.	सम्मिलित किये गये स्वीकृत पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप पुलिस अधीक्षक	140	50%	50%
2.	उप पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक-प्रशिक्षण, उप पुलिस अधीक्षक-पुलिस अकादमी, उप पुलिस अधीक्षक-पीटीसी, उप पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा, उप पुलिस अधीक्षक-लाईन/उप पुलिस अधीक्षक-माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा आदि.	19	50%	50%
3.	सहायक सेनानी	45	50%	50%
4.	उप पुलिस अधीक्षक-रेडियो	05	50%	50%
5.	उप पुलिस अधीक्षक-एमटी	01	शून्य	100%
6.	उप पुलिस अधीक्षक-प्रश्नास्पद दस्तावेज	02	शून्य	100%
7.	उप पुलिस अधीक्षक-अंगुली चिन्ह ब्यूरो	01	शून्य	100%
8.	उप पुलिस अधीक्षक-अनुसचिवीय.	02	शून्य	100%

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उप पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक-प्रशिक्षण, उप पुलिस अधीक्षक-पुलिस अकादमी, उप पुलिस अधीक्षक-पीटीएस, उप पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा, उप पुलिस अधीक्षक-लाईन आदि. क्षेत्रीय अधीक्षक-विशेष शाखा और सहायक सेनानी.	21	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि.	
2.	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	21	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिकी/टेलीकम्यूनिकेशन या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि.	

टिप्पणी : अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़/मध्य प्रदेश में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा.

अनुसूची-चार

(भाग-'अ' : नियम- 6, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 देखिये)

क्र.	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति/नियुक्ति/पदस्थापना की जाना है	कालम 3 में पदोन्नति की पात्रता के लिए कालम 2 के पद पर न्यूनतम सेवा आवश्यक होगी	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निरीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक	6 वर्ष	1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित आयोग का कोई सदस्य-अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव-गृह-सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक-सदस्य
2.	कंपनी कमाण्डर (श्वान दल, अश्वरोही दल को सम्मिलित करते हुये).	सहा. सेनानी	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
3.	निरीक्षक (रेडियो वरिष्ठ टेक्नीशियन/आपरेटर तथा सायफर).	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
4.	निरीक्षक (एमटी)	उप पुलिस अधीक्षक (एमटी)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
5.	निरीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
6.	निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	उप पुलिस अधीक्षक (अंगुली चिन्ह)	6 वर्ष.	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
7.	रक्षित निरीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय/प्रशिक्षण, जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस, सुरक्षा लाईन आदि).	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
8.	निरीक्षक (अनुसचिवीय कार्यालय अधीक्षक)	उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार

भाग-'ब'

क्र.	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम, जिस पर क्रमोन्नति की जाना है	कालम 3 में क्रमोन्नति की पात्रता के लिए कालम 2 के पद पर न्यूनतम सेवा आवश्यक होगी	विभागीय पदोन्नति छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप पुलिस अधीक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान)	16 वर्ष जिसमें उप पुलिस अधीक्षक-वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के रूप में 6 वर्ष सम्मिलित है.	1. प्रमुख सचिव गृह-अध्यक्ष 2. पुलिस महानिदेशक-सदस्य 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंक के एक अधिकारी-सदस्य.
2.	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	उप पुलिस अधीक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	10 वर्ष जिसमें उप पुलिस अधीक्षक-कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के रूप में 6 वर्ष सम्मिलित है.	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार
3.	उप पुलिस अधीक्षक (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान).	उप पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान)	6 वर्ष	ऊपर वर्णित किये गये अनुसार

अनुसूची-पांच
(नियम-14 एवं 23 देखिये)

क्र.	उस पद का नाम, जिससे पदस्थापना की जाना है	उस पद का नाम, जिस पर पदस्थापना की जाना है	कालम 2 में उल्लेखित पद से कालम 3 के पद पर पदस्थापना हेतु अपेक्षित न्यूनतम सेवा या वेतनमान	संवीक्षा स्क्रीनिंग समिति/छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	8 वर्ष	1. प्रमुख सचिव-गृह-अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव-गृह-सदस्य 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी-सदस्य
2.	सहायक सेनानी	उप सेनानी	8 वर्ष	तदैव
3.	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो).	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (रेडियो).	8 वर्ष	तदैव
4.	उप पुलिस अधीक्षक (एमटी)	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एमटी)	8 वर्ष	तदैव
5.	उप पुलिस अधीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	राज्य परीक्षक (प्रश्नास्पद दस्तावेज)	राज्य पुलिस सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	पदस्थापना के लिये कोई पृथक संवीक्षा/छानबीन पुनः अपेक्षित नहीं होगी जबकि अधिकारी को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अनुसूची-चार के कालम-6 में यथा उल्लेखित समिति द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान पहले ही दे दिया गया हो.
6.	उप पुलिस अधीक्षक (अंगुली चिन्ह)	संचालक (अंगुली चिन्ह)	तदैव	तदैव
7.	उप पुलिस अधीक्षक	मुख्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री सुरक्षा.	तदैव	तदैव
8.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य एपीटीएस बारसूर	तदैव	तदैव
9.	उप पुलिस अधीक्षक	प्राचार्य पुलिस प्रशिक्षण शाला	तदैव	तदैव

टिप्पणी :- यदि सहायक सेनानी संवर्ग में पर्याप्त तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सीधी भर्ती से नियुक्त उप पुलिस अधी. को अ.पु.अ. के रूप में पदोन्नत होने पर उप सेनानी के रूप में पदस्थ किया जा सकता है.

अनुसूची-छः

पार्ट-1 : उप पुलिस अधीक्षक के पदों/पदस्थापनाओं का वितरण

(नियम-20, 21, 22 एवं 23)

क्र. (1)	उपुआ एवं उसके समकक्ष रैंक के कुल पद (2)	सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटा (3)	पदोन्नति कोटा (4)	पदोन्नति के लिये फीडर चैनल (5)
1.	140 अनुविभागीय अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक.	50 प्रतिशत कुल पद का 204 (204=140+19+45) इन पदों के 50 प्रतिशत अर्थात् 102 पदों पर उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक-प्रशिक्षण, उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस, उप पुलिस अधीक्षक-पुलिस अकादमी, क्षेत्रीय अधीक्षक तथा सहा. सेनानी आदि की सीधी भर्ती की जावेगी.	कुल पदों का 50 प्रतिशत=70	निरीक्षक
2.	19 उप पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक-प्रशिक्षण, उप पुलिस अधीक्षक-लाईन, उप पुलिस अधीक्षक-पुलिस अकादमी, पीटीएस, उप पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा/उप पुलिस अधीक्षक-माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा.		कुल पदों का 50 प्रतिशत=09	रक्षित निरीक्षक
3.	45 सहा. सेनानी		कुल पदों का 50 प्रतिशत=23	कंपनी कमांडर
4.	05 उप पुलिस अधीक्षक-रेडियो	कुल पदों का 50 प्रतिशत=02	कुल पदों का 50 प्रतिशत=03	निरीक्षक-रेडियो टेक्नीकल, निरीक्षक-रेडियो आपरेटर, निरीक्षक-रेडियो स्नायफर,
5.	01 उप पुलिस अधीक्षक-एमटी		कुल पदों का 100 प्रतिशत=01	निरीक्षक एमटी
6.	02 उप पुलिस अधीक्षक-प्रश्नास्पद दस्तावेज		कुल पदों का 100 प्रतिशत=02	निरीक्षक प्रश्नास्पद दस्तावेज
7.	01 उप पुलिस अधीक्षक-उंगली चिन्ह ब्यूरो		कुल पदों का 100 प्रतिशत=01	निरीक्षक अंगुली चिन्ह ब्यरो
8.	02 उप पुलिस अधीक्षक (अनुसचिवीय)		कुल पदों का 100 प्रतिशत=02	निरीक्षक अनुसचिवीय
	योग-215	104	111	

पार्ट-2-कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रवर श्रेणी एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पर उप पुलिस अधीक्षकों को क्रमोन्नति का विवरण

वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	प्रवर श्रेणी वेतनमान	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान
25 प्रतिशत स्वीकृत पद के विरुद्ध नियम-20 के अनुसार क्रमोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा.	15 प्रतिशत स्वीकृत पद के विरुद्ध नियम-21 के अनुसार क्रमोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा.	5 प्रतिशत स्वीकृत पद के विरुद्ध नियम 22 के अनुसार क्रमोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा.

टिप्पणी :- 1. सहा. सेनानी के 22 पदों पर सीधी भर्ती उप पुलिस अधीक्षक के नाम से की जाती है. सीधी भर्ती के ये अधिकारी जिला पुलिस बल अथवा छसबल में पदस्थ किये जा सकेंगे.

2. अति. पुलिस अधीक्षक की रैंक श्रेणी के 58 पद हैं, जिन्हें वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के पदों की गणना में शामिल किया गया है. न्यूनतम 08 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने पर उप पुलिस अधीक्षकों की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर नियम-23 अनुसूची-पांच के अनुसार पदस्थ किया जाता है. ये अधिकारी अपनी सेवाकाल की अवधि तथा नियम-20, 21 और 22 के अनुसार चयनित होने पर उप पुलिस अधी. के पद के वरिष्ठ वेतनमान अथवा प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में हो सकते हैं. अतएव किसी भी विशेष समय वरिष्ठ वेतनमान अथवा प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पर अधिकारियों की कुल संख्या 181 (58+68+41+14) होगी. (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 58 उप पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ वेतनमान के 68 उप पुलिस अधीक्षक, प्रवर श्रेणी के 41 तथा उप पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के 14)

रायपुर, दिनांक 28 जून, 2005

पृ. क्र.-एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्र.-एफ 2-8/दो-गृह/रापुसे/2005, दिनांक 28-06-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28 th June 2005

NOTIFICATION

No. F 27/Two-Home/SPs/2005.- In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, in supersession of the previous rules in this subject, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment and promotion in Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Services, namely :-

RULES

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2005.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. DEFINITIONS :-

In these rules, unless the context otherwise requires

(a) 'Appointing Authority' means the 'Government of Chhattisgarh'.

(b) 'Commission' means the 'Chhattisgarh Public Service Commission'.

(c) 'Examination' means Competitive Examination for recruitment conducted under Rule 11.

(d) 'Government' means Government of Chhattisgarh.

(e) 'Governor' means the Governor of Chhattisgarh.

(f) 'Inspector' means an Inspector District Executive Force (DEF), Inspector Special Branch (SB), Reserve Inspector (RI), Inspector Radio (R), Motor Transport Inspector (MTI), Inspector Questioned Documents (IQD), Inspector Finger Prints Bureau (IFPB) and Inspector Ministerial (M).

(g) 'Other Backward Classes' means Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification.

(h) 'Schedule' means Schedule appended to the rules.

(i) 'Scheduled Caste' means the Scheduled Caste specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India.

(j) 'Scheduled Tribe' means the Scheduled Tribe specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.

(k) 'State' means the State of Chhattisgarh.

(l) 'Service' means Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Service.

3. SCOPE AND APPLICATION :-

Without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgtarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service, as mentioned in Schedule-1.

4. CONSTITUTION OF THE SERVICE :-

(l) The Service shall consist of the following persons, namely :

(a) Persons who at the commencement of these rules are appointed substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-1;

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules;

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

(2) The service shall consist of the following categories namely :

(a) Dy. Supdt. of Police, Junior Scale in the pay scale Rs. 8000-275-13500/-

(b) Dy. Supdt. of Police, Senior Scale in the pay scale Rs. 10000-325-15200/-

(c) Dy. Supdt. of Police, Selection Grade in the pay scale Rs. 12000-375-16500/-

(d) Dy. Supdt. of Police, Senior Selection Scale in the pay scale Rs. 14300-400-18300/-.

5. CLASSIFICATION, SCALE OF PAY ETC. :-

The classification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of the posts, included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. MODE OF RECRUITMENT :-

(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment by selection, through competitive examination.

(b) By promotion of such members of service, as are specified in column 3 from the post specified in col. No. 2 of Schedule- IV.

(c) On deputation of persons appointed to the specified posts in specified services.

(2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not exceed the percentage mentioned in Schedule-II of the number of posts mentioned in Schedule-I.

(3) Subject to provisions of these rules, the method for the purpose of filling any vacancy in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment; and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined by the appointing authority in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of appointing authority, the exigencies of the service so require, the Home Department may, with the prior concurrence of General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service, other than those specified in the said Sub Rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the instructions under these Rules issued by General Administration Department from time to time shall be applicable on recruitment.

7. APPOINTMENT TO THE SERVICE :-

All appointments to the service after coming into force of these rules, shall be made by appointing authority and no such appointment, shall be made except by one of the methods of recruitment, specified in Rule 6.

8. CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR DIRECT RECRUITMENT :-

In order to be eligible for competing in the examination, a candidate shall have to satisfy following conditions namely :-

(1) **Age :-**

(a) He must have attained the age, as specified in column 3 of Schedule-III and not attained the age specified in column 4 of the said schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the Examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of five years for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who. are or have been the employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions as below :-

(i) A candidate who is permanent Government servant, should not be more than 33 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post, should not be more than 33 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees. work charged employees. and employees working in the Project Implementation Committee.

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age. the period of all temporary service. previously rendered by him. upto a maximum of 7 years. even if it represents more than one spell. provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by three years.

Explanation :- The term 'Retrenched Government Servant' denotes a person. who was in Government Service of this State, or any of the constituent units. for a continuous period of not less than six months: and who was discharged. because of reduction in the number of employees, not more than 3 years prior to the date of his registration in the Employment Exchange; or if application made. otherwise for employment in the Government Service.

(d) Reservation of Posts for Women:-30% of the posts shall be reserved for the women candidates at the stage of direct recruitment (entry level) and the reservation shall be horizontal and compartment-wise, provided that State Government may in special/adverse circumstances of the service, reduce the percentage upto 10 % by Notification.

Explanation :- "Horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely: Scheduled Caste. Scheduled Tribe, Other Backward Classes and General.

(e) A candidate. who is an ex-serviceman. shall be allowed to deduct from his age, the period of all Defense Services previously rendered by him. provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :- The term 'Ex-serviceman' denotes a person. who belongs to any of the following categories, and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months: and who was retrenched or declared surplus. as a result of the recommendation of Economy Unit or due to normal reduction in the number of employees, not more than three years. before the date of his registration at any employment exchange. or of application made otherwise for employment in Government Service :-

(i) Ex-serviceman released under "mastering out concession".

(ii) Ex-serviceman recruited for second time and discharged on (a) Completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).

(iv) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(f) The upper age limit for women candidates shall be relaxable upto 10 years as per Chhattisgarh Civil Service (special provision for appointment of women) Rules. 1997. This relaxation shall be in addition to the other age relaxation.

(g) General Upper Age limit shall be relaxable up to five years in respect of Widows. Destitute or Divorced woman candidates.

(h) Upper Age Limit shall also be relaxable up to two years in respect of Green Card Holder candidates under the Family Welfare Programme.

(i) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partners of a couple under the inter caste marriage inceptive Programme of the Tribal.

Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.

(j) The upper age limit shall also be relaxable up to five years in respect of candidates holding 'Vikram Award'.

(k) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 33 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(l) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards for the period of service rendered by them, subject to the limit of 8 years, but in no case, their age should exceed 38 years.

NOTE :- 1. Candidates, who are admitted to the Selection, under the age concession mentioned in sub clause (i) and (ii) of the clause (c) and clause (i) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from the service, either before or after the selection. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post, after submitting the application.

2. Departmental candidates must obtain the Prior Permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

3. In addition to the above provisions, all the orders in this regard issued from time to time by General Administration Department shall also be applicable.

(2) **Physical Qualifications :-**

Candidate must have the following Physical qualifications, and shall submit an Affidavit in this regard :-

(a) Height :- 168 Cms. or more (for male candidate) 155 Cms. or more (for female candidate).

(b) Chest :- 84 Cms. without expansion & 89 Cms. after expansion. Candidate should attain the difference of 5 Cms. between unexpanded and expanded chest. There will be no relaxation. Chest measurement is not required in case of women candidate.

(c) Candidate should not be physically handicapped.

(d) Candidate should be medically fit and should not have short sightedness in vision test. He should have clear vision for colours. He should not be mentally or physically handicapped.

(3) **Educational Qualification :-**

A candidate must possess the Educational qualifications prescribed for the service in the Schedule-III provided that-

(a) In exceptional cases, the Commission, on the recommendation of Government, may treat as qualified any candidate, who though not posses any qualification prescribed in this clause, has passed examination conducted by any other institution by such a standard, which in the opinions of the Commission justifies the consideration of the candidate, as eligible for the examination/selection.

(b) Candidates, who are otherwise qualified, but have taken degree from a Foreign University, not specifically recognized by the Government, may also be considered for appearing the Examination/Selection at the discretion of the Commission. And, also only those candidates will be eligible for appointment, who have passed Higher Secondary or equivalent examination or have obtained bachelor degree from any School, College or University situated in Madhya Pradesh/ Chhattisgarh.

(4) **Fees :-**

The candidates will have to pay the fee prescribed by the Commission.

9. DISQUALIFICATION :-

Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for appearing the examination/selection.

10. DECISION OF COMMISSION ABOUT THE ELIGIBILITY :-

The decision of the Commission regarding the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom. a certificate of admission has not been issued by the Commission. shall be admitted to the examination/interview.

11. DIRECT RECRUITMENT THROUGH COMPETITIVE EXAMINATION :-

(1) A Competitive Examination for the recruitment to the service shall be held at such interval as the Government from time to time may determine in consultation with the Commission.

(2) The Commission shall conduct the examination according to such orders, as may be issued by the Government in consultation with the Commission.

(3) Out of the available vacancies for direct recruitment, post shall be reserved for candidates, who are the members of Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (ANUSUCHIT JATIYON. ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE AARAKSHAN) Adhiniyam. 1994 (No.21 of 1994) and the order or instructions issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies, so reserved candidates. who are members of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12.

(5) Out of the available vacancies. the posts shall also be reserved for woman candidates, in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997 as made applicable to Home (Police) Department with respect to posts as mentioned in Schedule-I.

12. LIST OF CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION :-

(1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of candidates, who have qualified by such standards. as fixed by it, and of candidates, who belong to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidate will be considered for appointment to the available vacancies in the order, in which their names appear in the list.

(3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied. after such inquiry. as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The Select List issued by the Commission shall remain valid for a period of one year from the date of issue.

13. PROBATION AND TRAINING :-

(1) Every person directly recruited to the service. shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) During the probation period, prescribed training shall be imparted in specified training institution, and outfits. Probation period may be extended. if the candidate fails to attain prescribed standard. Failure to qualify in the prescribed examination and training by prescribed standards, as may be conducted from time to time, may entail extension of probation period: and even discharge from service.

(3) If a candidate. who is offered an appointment on probation does not join the training at the given date and place. his appointment shall be cancelled. The order or appointment shall be cancelled. If the candidate does not join within the period specified in the appointment order.

14. APPOINTMENT BY PROMOTION/TIME SCALE/POSTING :-

(1) A committee shall be constituted, consisting of members, mentioned in column 5 of Schedule-IV for making a preliminary selection of eligible candidates. In case, there is no member representing Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes, among the members nominated for the Departmental Promotion Committee, other than the presiding officer, then an other officer, from either of these categories, will be included in the Committee; and the strength of Committee will be deemed to be extended to the required limit.

(2) The Committee shall ordinarily meet at least once every year.

15. CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR PROMOTION OF INSP. TO DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE :-

(1) Without prejudice to the generality of the provisions of Chhattisgarh State Civil Service (Promotion) Rules, 2003 the procedure for making promotions, shall be in accordance with these rules only. The procedure for promotions are laid down in the Rules 16 to 19.

(2) The Committee shall consider all the cases of those persons, who have fulfil the minimum qualifying service on the post/posts or the post declared to its equivalent by the Government as mentioned in Col. No. 2 of Schedule -IV or substitute completes the minimum qualifying service as mentioned in Col. No.4 of Schedule-IV as on 1st January of that corresponding year and who comes in the zone of consideration.

Explanation:- Eligibility for promotion and Procedure of Calculation of Qualifying Service:-The year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee hold its meeting shall calculate the minimum qualifying service of the Public Servants till the 1st January of DPC year from the Calendar year in which the public servant attained the post/feeder channel and not from the date of promotion.

(3) (a) There shall be no Zone of Consideration for all the categories, if the promotions are given except unqualified persons on the basis of their seniority or Seniority-cum-fitness principle. For this purpose the number of vacant posts shall be calculated according to the existing vacancies in all the feeder channel including the number of anticipated vacancies by retirement in coming one year.

(b) In addition to the vacancies mentioned in Sub Rule (3) (a), for filling-up the previous unexpected vacancies, the zone of consideration shall be extended suitably by increasing two public servants or 25 percent of the Select list which is more.

(4) The promotions shall be given in accordance with the Reservation Roster prescribed by the Government.

16. PREPARATION OF LIST OF SUITABLE CANDIDATES FOR THE POST OF DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE :-

(1) The Departmental Promotion Committee, shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions, prescribed in Rule 15; and as are held by the Committee, to be suitable for promotion to the service, according to the provisions of Chhattisgarh State Civil Service (Promotion) Rules, 2003. The list shall be sufficient to cover the existing vacancies; and anticipated vacancies during the next one year, from the date of preparation of select-list.

(2) The names of the officials included in such list, shall be arranged in the order of seniority in the service in the posts, as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

(3). The list so prepared shall be reviewed; and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service; the Committee shall record, its reasons for proposed supersession.

(5) The formula for the further calculation shall be that just double the number of expected vacancies then add 4. If the required number of SC/ST public servants are not available, as shown above within the

'Zone of Consideration', then the 'Zone of Consideration' can be expanded up to the 7 times to the number of vacancies; and in this expanded 'Zone of Consideration' the names of SC/ST public servants shall be considered to fill up the reserved posts.

(6) Names of only such public servants shall be taken into consideration for promotion, who have fulfilled the desired service length (as per the Recruitment Rules) in the pay-scale of Feeder Cadre/part of service/post; and come within the 'Zone of Consideration'.

Except this, during the period, mentioned above, for filling up the unexpected vacancies, either of 2 public servants, or 25% of the number of public servants from the Selection List, whichever is more, for the purpose of including such names, for each cadre, the required number of public servants, which comes with the 'zone of consideration' such names shall be taken under consideration.

(7) Such reserved posts, as per the Recruitment Rule, eligible for consideration, after considering all the names of public servants, the cadre of eligible public servants, for which, the posts are reserved, could not be filled up due to non-availability, the such post shall be kept vacant, until the suitable public servant is available. In any circumstances, any of the vacancies of Reserved cadre, shall never be filled up by the promotion of public servant from any other cadre.

(8) The Departmental Promotion Committee shall fix the eligibility, in specific reference to the ACRs of previous 5 years and Service Book records for the promotion of public servants. However, in those cases, where desired eligible service is more than 5 years, Departmental Promotion Committee shall look into the records in special reference to ACRs of eligible service.

17. CONSULTATION WITH THE COMMISSION :-

The Departmental Promotion Committee shall consult to Public Service Commission relating to promotion of the member of service, provided that if the Departmental Promotion Committee is headed by Chairman or the member of Commission , separate consultation is required under sub- clause (B) of Clause (3) of Article 320 of the Constitution of India shall not be necessary.

18. SELECTION LIST :-

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare the list of successful candidates considering their merits and send to the appointing authority along with other documents. The appointing authority shall approve the list or make any suitable change if necessary.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list then he shall inform the Committee for their views in writing stating the reasons for such changes after considering the comments or suggestions if any made by the Committee, the appointing authority may approve the list finally with or without any change/modification as may just and proper.

(3) The list, as finally approved by the Appointing Authority, shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column 2 of the Schedule-IV to the posts, mentioned in column 3 of the said schedule.

(4) The select list shall be valid for a period of 12 months from the date of its approval. The validity of the list may be further extended for 6 months by the appointing authority with the prior approval of the Commission and it shall not be extended beyond total period of 18 months. Provided that in the event of a grave lack in the conduct of performance of duty on the part of any person included in the select list, a special review in the select list may be made in the instance of the appointing authority and the Departmental Promotion Committee after giving reasonable opportunity of being heard to such persons, remove the name of such person, from the select list.

19. APPOINTMENT TO THE SERVICE ON THE POST OF DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE FROM THE SELECT LIST :-

(1) Persons, whose names are included in the select list, may undergo pre-promotion course and pass the same with such standards, before being appointed on promotion, as may be specified by the Government from time to time in this behalf.

(2) Person, appointed to the service on promotion, shall be appointed on probation for a period of 2 years.

20. CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT FROM JUNIOR SCALE TO SENIOR SCALE OF SERVICE :-

(1) Only such officers working in Junior Scale of the State Police Service, shall be eligible for consideration for appointment into the senior scale of the Service, who -

(a) have completed six years of service in the Junior Scale of the Service on the Ist January of the year in which the selection is to be made; and

(b) Direct Recruit Officers have passed with the high standards, the prescribed Departmental Examination in all subjects or have been exempted to pass by the State Government, as the case may be.

(2) Selection for appointment into the Senior Scale of service, of officers working in the Junior Scale, shall be made by the Committee constituted as shown in the Schedule-IV on the basis of 'Seniority subject to fitness' in all respects.

(3) Total number of officers of this Grade shall not exceed 25% of the total sanctioned posts. Pay Scale of the post shall be as mentioned in Schedule -VI.

21. CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT FROM SENIOR SCALE TO SELECTION GRADE OF SERVICE :-

(1) Only such officers working in the Senior Scale of the Service, shall be eligible for consideration for appointment into the Selection Grade Scale of the Service, who have completed 4 years of service in the Senior Scale on the 1st January of the year, in which the selection is to be made.

(2) Selection for appointment into the Selection Grade Scale of officers working in the senior scale, shall be made by the Committee constituted and as shown in Schedule- IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "Seniority subject to fitness" in all respects. Total number of officers in this Grade, shall not exceed 15% of the total strength. Pay Scale of the post shall be as shown in Schedule-VI.

22. CONDITIONS FOR ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT FROM SELECTION GRADE TO SENIOR SELECTION GRADE OF SERVICE :-

(1) Only such officers, working in Selection Grade of the Service, shall be eligible for consideration for appointment into the Senior Selection Grade of the service, who have completed 6 years of service, in the selection grade on the 1st January of the year, in which the selection is to be made.

(2) Selection for appointment into the Senior Selection Grade Scale of officers working in the Selection Grade shall be made by a Committee, constituted and shown in Schedule-IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "Seniority subject to fitness" in all respects. Total number of officers in this grade, shall not exceed 5% of the total strength. Pay Scale of the post shall be as mentioned in Schedule-VI.

23. CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR POSTING AS ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE :-

(1) Only those members of service, who are working in the senior-scale or Selection Grade or in Senior Selection Grade of the State Police Service and fulfill the conditions of eligibility, shown in column (4) of Schedule-V shall be eligible for consideration, for being posted as Additional Superintendent of Police, Deputy Commandant, or in the equivalent rank.

(2) Selection for posting, shall be made by the Committee, as specified in column (5) of Schedule-V.

24. POSTING FROM IPS CADRE :-

Notwithstanding anything contained in these rules, there shall be no bar to the posting of Indian Police Service Officers on the posts included in Schedule-1.

25. INTERPRETATION :-

If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of the State Government shall be final.

26. POWER TO RELAX :-

Where the State Government is satisfied that the operation of any of these Rules causes undue hardship in any particular case or class it may for reason to be recorded in writing dispense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be deemed necessary.

27. REPEAL AND SAVING :-

Madhya Pradesh Police Executive (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules 2000, Notification No. F-1(B)26-2000-B-IV-II dated 22-05-2000 relating to its application in state of Chhattisgarh, and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed or rescinded as per the case may be, in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

A. Minj, Joint Secretary.

SCHEDULE - I

(See Rule 3, 4, 5, 11, 20, 21 & 22)

CLASSIFICATION OF SERVICE, PAY SCALES AND THE NUMBER OF POSTS, EXISTING IN THE SERVICE

S. No. (1)	Name of the posts included in the service (2)	Number of Posts (3)	Classfication (4)	Scale of Pay (5)	Appointing Authority (6)	Posting eligibility for officers of promotion quota (7)
1.	Principal, Police Training School.	02	State Police Service Class I	Senior Selection Grade Rs. 14300-400-18300 or Selection Grade Rs. 12000-375-16500 or Senior Scale 10000-325-15200/- of State Police Service.	The State Government	1. One post for the Dy. SP promoted from Reserve Inspector Cadre. 2. Remaining posts by Inspectors or direct recruits of DSP.
2.	Principal APTC Barsoor.	01	As above	As above	As above	Company Commander/Reserve Inspector/ Inspector/Direct Recruitment.
3.	Principal PTC Borgaon.	01	As above	As above	As above	Company Commander/Reserve Inspector/ Inspector/Direct Recruitment.
4.	Commandant. Jungle Warfare School, Kanker.	01	As above	As above	As above	Company Commander/Reserve Inspector/ Inspector/Direct Recruitment.
5.	State Examiner (Questioned Documents).	01	As above	As above	As above	Inspector (Questioned Documents)
6.	Chief Security Officer (C.M. Security).	01	As above	As above	As above	Inspector (SB) or Inspector
7.	Addl. Supdt. of Police.	27	As above	Selection Grade Rs. 12000-375-16500 or Senior Scale 10000-325-15200 of SPS.	As above	Inspector
8.	Area Superintendent/ State Inteligence Branch.	07	As above	As above	As above	Inspector (SB) or Inspector
9.	Deputy Commandant	15	As above	As above	As above	Company Commander
10	Addl. Supdt. of Police (Radio).	02	As above	As above	As above	Inspector (Radio)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	D. S. P.	140	State Police Service Class-I and Class-II.	Senior Scale Rs. 10000-325-15200 or Rs. 8000-275-13500/- of State Police Service.	The State Government	Inspector
12.	D. S. P. (Headquarters. Training, PTS, APTS/ Jungle Warfare School. Security, Line)/DSP Security, Hon'ble High Court. etc.	19	As above	As above	As above	Reserve Inspector
13.	Asstt. Commandant	45	As above	As above	As above	Company Commander
14.	Dy. Supdt. of Police (Radio).	05	As above	As above	As above	Inspector (Radio)
15.	Dy. Supdt. of Police (MT).	01	As above	As above	As above	Reserve Inspector. Company Commander or Inspector (MT).
16.	Dy. Supdt. of Police (Questioned Documents).	02	As above	As above	As above	Inspector (Questioned Documents)
17.	Dy. Supdt. of Police (Finger Print Bureau).	01	As above	As above	As above	Inspector (Finger Print)
18.	Dy. Supdt. of Police (Ministerial).	02	As above	As above	As above	Inspector (Ministerial)
	215+58=273					

NOTE :-

1. The Directly Recruited Dy. SP can be posted on any of the posts included in this schedule.
2. On the posts mentioned in Column 2 from Sr. No. 01 to 18, the officers are appointed or promoted initially in the Junior Scale of Pay but later are promoted/Time Scale to the senior scale of pay according to the provisions of Rule 20, 21 and 22.
3. Of the total cardre of Dy. S.P. 25% of the posts are to be in the Senior Scale, 15% in the Selection Grade and 5% are to be in the Senior Selection Grade.
4. There are 58 posts in the rank of Addl. SP which are included while working out the posts in senior scale, selection grade and senior selection grade. Deputy Superintendents of Police as Additional SsP on completion of minimum 8 years of service in accordance with rule 23 and Schedule -V. These officers could be in senior scale or selection grade or in Senior Selection grade of Dy. S. P. depending on their length of service and their selection as per Rules 20, 21 and 22. Therefore at any particular time total number of officers in senior scale, selection grade and senior selection grade will be 181 (58+68+41+14). (Addl. SP Posts=58, DSP Sr. Scale-68, DSP Sel. grade=41, DSP Sr. Sel. Grade=14).

SCHEDULE - II

(See Rule 6)

Sr. No.	Name of Posts Included	Total Number of Sanctioned Posts	Percentage of number of posts to be filled	
			By Direct Recruitment vide Rule 6 (1) (a)	By promotion of members of service vide Rule 6 (a) (b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dy. Supdt. of Police	140	50%	50%
2.	DSP Hqrs/DSP Training/ DSP Police Academy/ DSP-PTC/DSP-PTS/ DSP-Security/DSP-Lines/DSP Security-Hon'ble High Court etc.	19	50%	50%
3.	Asstt. Commandant	45	50%	50%
4.	DSP (Radio)	5	50%	50%
5.	DSP (MT)	1	Zero	100%
6.	DSP (Questioned Documents)	2	Zero	100%
7.	DSP (Finger Print Bureau) DS	1	Zero	100%
8.	DSP (Ministerial)	2	Zero	100%

SCHEDULE - III

(See Rule 8)

Sr. No. (1)	Name of Posts Included (2)	Minimum age limit years (3)	Maximum age limit years (4)	Educational Qualification (5)	Remarks (6)
1.	Dy. Supdt. of Police (Hqrs., Training Police Academy, PTC, PTS, Security, Line etc.), Area Supdt. and Asstt. Commandant.	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University.	
2.	Dy. Supdt. of Police (Radio).	21	28	Bachelor Degree or its equivalent from any recognized University in Electronics/Telecommunication Engineering or Technology.	

NOTE :- It will essential for the candidates to have passed the Higher Secondary/Bachelor Examination from a School/ College situated in Chhattisgarh/Madhya Pradesh.

SCHEDULE - IV
(See Rule 6, 14, 15, 16, 18, 20, 21 and 22)

Part - A

Sr. No.	Name of Posts from which promotion is to be made	Name of posts to which promotion is to be made	Minimum service in the post of Col. (2) for eligibility for promotion in Col. (3)	Composition of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Inspector Squad. Horse Squad)	Dy. S.P.	6 Years	1. Chairman. Chhattisgarh Public Service Commission or the member of the commission nominated by the Chairman—Chairman. 2. Principal Secy. (Home) —Member 3. Director General of Police —Member
2.	Company Commdr. (including Dog Squad. Horse Squad).	Asstt. Commdt.	6 Years	As mentioned above
3.	Inspector (Radio) (Senior Technician)	DSP (Radio)	6 Years	As mentioned above
4.	Inspector (MT)	DSP(MT)	6 Years	As mentioned above
5.	Inspector (Questioned Documents)	DSP(QD)	6 Years	As mentioned above
6.	Inspector (Finger Print)	DSP (Finger Print)	6 Years	As mentioned above
7.	Reserve Inspector	DSP (Hqrs., Training, Police Academy, PTC, PTS, Security, Line etc.)	6 Years	As mentioned above
8.	Inspector (Ministerial) Office Supdt.	Dy. SP (Ministerial)	6 Years	As mentioned above

Part-B

Sr. No.	Name of Posts	Name of posts to which Time Scale is to be made	Minimum service in the post of Col. (2) for eligibility for time scale in col. (3)	Composition of the Departmental Screening Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dy. Supdt. of Police (Jr. Pay Scale)	Dy. Supdt. of Police (Sr. Pay Scale)	6 Years	1. Principal Secy. (Home) —Chairman 2. Director General of Police -Member 3. One Officer of the rank of Addl. Director General of Police nominated by the Govt.- Member.
2.	Dy. Supdt. of Police (Sr. Pay Scale)	Dy. Supdt. of Police (Selection Grade)	10 Years including that of 6 years as Dy. Supdt. of Police (Jr. Scale)	As mentioned above.
3.	Dy. Supdt. of Police (Selection Grade)	Dy. Supdt. of Police (Sr. Selection Grade)	16 Years including that of 6 years as DSP (Selection Grade)	As mentioned above.

SCHEDULE - V
(See Rule 23)

Sr. No. (1)	Name of the post from which posting is to be made (2)	Post to which posting is to be done (3)	Minimum service or scale of pay on the posts, mentioned in Col. No. 2, required for posting on the post in Col. 3 (4)	Composition of Screening/Scrutiny Committee (5)
1.	Dy. Supdt. of Police	Addl. Supdt. of Police	8 Years	1. Principal Secy. (Home)—Chairman 2. Director General of Police- Member 3. One officer of the rank of Addl. Director General of Police, nominated by the Govt. Member.
2.	Asstt. Commdt.	Dy. Commdt.	8 Years	As above
3.	Dy. Supdt. (Radio)	Addl. Supdt. of Police (Radio)	8 Years	As above
4.	Dy. S.P. (MT)	Addl. S.P. (MT)	8 Years	As above
5.	DSP (Questioned Documents).	State Examiner (Questioned Documents).	Selection Grade Pay Scale of State Police Service.	No separate Screening/Scrutiny will be required again for posting since the officer is already granted selection grade on completion of 10 years of service by the committee as mentioned in col. 6 of Schedule-IV.
6.	DSP (Finger Print)	Director (Finger Print)	As Above	As Above
7.	Dy. Supdt. of Police	C. S. O. (CM Security)	As Above	As Above
8.	Dy S. P.	Principal, APTS Barsoor	As Above	As Above
9.	Dy. S. P.	Principal, Police Trg. School	As Above	As Above

NOTE :- Direct recruit Dy. Supdt. of Police on promotion as Addl. Supdt. of Police may be posted as Dy. Commdt., if adequate and suitable candidates from Asstt. Commdt. Cadre are not available.

SCHEDULE-VI

Part-I - PROMOTION ON THE POST OF DY. SsP.

(See Rule 20, 21, 22 and 23)

Sr. No. (1)	Total Posts of DSPs and its equivalent rank (2)	Direct recruit/Promotion quota (3)	Promotion quota (4)	Feeder Channel for promotion (5)
1.	140 SDOP, CSP, DSPs	50% total posts are 204 (140+19+45). 50% of these posts i.e. 102 are to be directly recruited in respect of DSP. SDOP. CSP. DSP (Hqrs.) DSP (Trg.). DSP (PTS). DSP (Police Academy). Area Supdt. and Asstt. Commdt. etc.	50% of total posts. 70.	Inspector
2.	19 DSP (Hqrs.)/DSP (Trg.)/DSP Police Academy, DSP (PTS), DSP (Secy.)/DSP Security Hon'ble High Court etc.	-	50 % of total posts. 09.	Reserve Inspector
3.	45 Asstt. Commdts.	—	50 % of total posts. 23.	Company Commdr.
4.	05 DSP (Radio)	50% of total posts 02	50 % of total posts. 03.	Inspector (Radio) Technical.
5.	01 DSP (MT)	—	100% of total posts. 01.	Inspector (MT)
6.	02 DSP (Questioned Documents)		100% of total posts. 02.	Inspector (Questioned Documents).
7.	01 DSP (Finger Print)		100% of total posts. 01.	Inspector (Finger Print).
8.	02 DSP (Ministerial)		100% of total posts. 02.	Inspector (Ministerial)
	Total 215	104	111	

Part - II TIME-BOND PAY SCALES-TO Dy. SsP - JUNIOR, SENIOR, SELECTION AND SENIOR SELECTION GRADE

Senior Pay Scale	Selection Pay Scale	Senior Selection Pay Scale
25% against Sanctioned Posts as per Rule-20 Time - Bond Pay Scales Seniority Subject to Fitness.	15% against Sanctioned Posts as per Rule-21 Time - Bond Pay Scales Seniority Subject to Fitness.	5% against Sanctioned Posts as per Rule - 22 Time - Bond Pay Scales Seniority Subject to Fitness.

NOTE :-

1. Direct recruitment of 22 posts of Asstt. Commdts. is done in the name of Dy. SP. These directly recruited officers may be posted either in SAF or in DEF.
2. There are 58 posts in the rank of Addl. SP which are included while working out the posts in senior scale, selection grade and senior selection grade. Deputy Superintendents of Police as Additional SsP on completion of minimum 8 years of service in accordance with rule 23 and Schedule-V. These officers shall be in senior scale or selection grade or in Senior Selection grade of Dy. S. P. depending on their length of service and their selection as per Rules 20, 21 and 22. Therefore at any particular time total number of officers in senior scale, selection grade and senior selection grade will be 181 (58+68+41+14). (Addl. SP Posts=58, DSP Sr. Scale = 68. DSP Sel. grade=41, DSP Sr. grade=14).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.